स्पष्टीकरण–4 अविभाजित हिन्दू परिवार का कोई सदस्य जिसके पास या जो भूमि में एक हिस्सा रखने के योग्य हो इस धारा के तहत भू–स्वामी मान लिया जाएगा, मानों परिवार में विभाजन हुआ हो।

धारा–48–डी Occupancy दर–रैयतो के द्वारा रैयती अधिकार का अर्जन :–

(1) कोई Occupancy दर–रैयत, विहित विधि से, इस आशय का आवेदन देकर, राज्य सरकार के द्वारा विहित भुगतान के अध्यधीन रैयत के अधिकार के अर्जन के योग्य होगा तथा ऐसी भूमि में भू–स्वामी का अधिकार समाप्त हो जाएगा।

परन्तु किसी भूमि पर वह ऐसा अधिकार तभी अर्जित करेगा, जब राज्य में उसके द्वारा कहीं भी धारित अन्य भूमि के साथ Bihar Land Reforms (Fixation of Ceiling Area and Acquisition of Surplus Land) Act, 1961 (Bihar Act xii of 1962) के तहत जितना क्षेत्र वह धारित कर सकता है, उससे अधिक न हो जाए।

(2) अवशिष्ट क्षेत्र, यदि कोई हो, जिसमें दर रैयत का अधिकार अर्जित नहीं करता हो, उस रैयत के द्वारा धारित होता रहेगा, जिसके अधीन दर रैयत ने भूमि धारित की हो।

(3) भू–स्वामी, जिसकी भूमि के प्रसंग में दर–रैयत उप धारा–(1) के तहत रैयत का अधिकार अर्जित करता हो, को याथाविहित विधि से मुआवजा का भुगतान किया जाएगा जो भूखंड के लगान के 24 गुणा के समतुल्य राशि होगी।

(नोट :– भू–स्वामी को मुआवजे (Compensation का उपबन्ध है। मुआवजा नुकसान (Loss) के एवज में होता है। नुकसान=दर–रैयत भू–स्वामी को जो लगान दिया करता था, उस लगान का 24 गुणा मुआवजा हुआ, न कि भू–स्वामी द्वारा सरकार को देय लगान का 24 गुणा)।

धारा–48–ई दर रैयत की आशंकित बेदखली का निरोध तथा अवैध रूप से निष्कासित दर रैयत के दखल की वापसी–

(1) यदि किसी दर–रैयत को अपनी अभिधृति या उसके किसी भाग से भू–स्वामी के द्वारा अवैध रूप से निष्कासन की आशंक हो या उनके बीच भू–स्वामी या काश्ताकर के सम्बन्ध के अनस्तित्व या अन्यथा के आधार पर भूमि, फसल या उत्पाद के दखल पर विवाद हो या धारा–89 के प्रावधानों के प्रतिकूल इस धारा

में कार्यवाही प्रारंभ होने के 12 वर्ष पूर्व उसकी अभिधृति या उसके किसी भाग से निष्कासित कर दिया गया हो, समाहर्त्ता स्वतः प्रेरणा से या दर–रैयत से इस आशय का आवेदन मिलने पर दर–रैयत को निष्कासित करने से भू–स्वामी को रोकने के लिए या कथित विवाद के समाधान के लिए या अपनी अभिधृति या उसके किसी भाग से गैर कानूनी रूप से निष्कासित दर–रैयत को दखल वापस दिलाने के लिए, कार्यवाही प्रारम्भ कर सकता हैं

स्पष्टीकरण–यदि कार्यवाही के बीच यह पाया गया कि भूमि–स्वामी ने कार्यवाही के दौरान या पहले भूमि को ऐसे व्यक्ति को अन्तरिक कर दिया है जो उप धारा (1) के तहत प्रारंभ की गयी कार्यवाही में पक्षकर नहीं है, समाहर्त्ता ऐसे अन्तरिती को कर्यवाही में पक्षकार बना लेगा।

(2) पक्षों की सुनवाई जिसके लिए उन्हें उचित नोटिस दी गयी हो, या लिखित आदेश के द्वारा असाधारण परिस्थितियों (Emergency) में एक तरफा सुनवाई के बाद समाहर्त्ता कार्यवाही निष्पादन होने तक या अगले आदेश तक दर–रैयत को निष्कासित करने से भू–स्वामी को रोक देगा तथा यदि उसकी धारणा है कि इस धारा की कार्यवाही में विवाद की विषय–भूमि की कोई फसल या उत्पाद तेजी से एवं प्राकृतिक रूप से नष्ट होने लायक है, वह यदि स्थिति का तकाजा हो एवं यथा उपर्युक्त तरीके से, जैसी स्थिति हो ऐसी फसल या उत्पाद या इसके बिक्री मूल्य के उचित संरक्षण या कटाई या बिक्री का आदेश दे सकेगा।

(3) जब उप धारा–(1) के तहत काई कार्यवाही प्रारंभ की जाएगी, समाहर्त्ता विवाद को अपने द्वारा नियुक्त किए गए बोर्ड को दर–रैयत तथा भू–धारी के बीच के विवाद का समाधन सुनिश्चित करने के लिए सन्दर्भित कर देगा।

(4) यथा विहित विधि से समाहर्त्ता के द्वारा नियुक्त बोर्ड काएक अध्यक्ष होगा जो बोर्ड को सन्दर्भित विवाद से या विवाद से प्रत्यक्षतः प्रभावित किसी पक्ष से असम्बद्ध (Un- connected) होगा, तथा विवाद के पक्षें का प्रतिनिधित्व करने वाले दो सदस्य होंगे तथा किसी पक्ष का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त व्यक्ति उस पक्ष की अनुशंसा पर नियुक्त होगा।

परन्तु यदि कोई पक्ष स्वयं के प्रतिनिधित्व के लिए किसी व्यक्ति को मनोनीत नहीं करता है या ऐसे व्यक्ति को मनोनीत करता है जो समाहर्त्ता के द्वारा माने गए युक्तिसंगत समय में उपलब्ध नहीं हो समाहर्त्ता ऐसे व्यक्ति को, जिसे वह उस पक्ष का प्रतिनिधित्व करने के लिए योग्य समझे, मनोनीत कर सकता है।

(5) बोर्ड के द्वारा अपना काम पूरा करने के पहले यदि किसी समय बोर्ड के अध्यक्ष या किसी सदस्य की सेवा नहीं मिल पाए, या अध्यक्ष को संतोषजनक कारण बिना बताए कोई सदस्य दो अनुवर्ती तिथियों को बोर्ड की बैठकों में उपस्थित नहीं होता है, तब उसका स्थान लेने के लिए समाहर्त्ता विहित विधि से किसी अन्य उपयुक्त व्यक्ति को नियुक्त कर सकेगा तथा ऐसे पुनर्गठित बोर्ड के समक्ष कार्यवाही जारी रहेगी।

(6) बोर्ड, जिसे कोई विवाद सन्दर्भित हुआ हो, का अध्यक्ष विहित विधि से दर–रैयत तथा उसके भू–स्वामी को लिखित नोटिस भेजेगा तथा विवाद के संद्भावपूर्ण समाधान का प्रयास करेगा और जब विवाद का संद्भावपूर्ण समाधान हो जाता है, समाधान के तथ्य समाविष्ट करते हुए समाहर्त्ता को एक प्रतिवेदन समार्पित करेगा, जो प्रतिवेदन के तथ्यों के तहत कार्यवाही का निष्पादन करेगा।

परन्तु, बोर्ड के किसी सदस्य के द्वारा प्रतिवेदन हस्ताक्षरित करने की विफलता उसकी वैधता को प्रभावित नहीं करेगी।

(7) यदि बोर्ड विवाद का सदभावपूर्ण समाधान लाने में विफल रहता है, या उसकी जांच करेगा, यथावश्यक साक्ष्य ग्रहण करेगा, विवादों पर अपने निष्कर्ष अभिलिखित करेगा तथा कार्यवाही का सम्पूर्ण अभिलेख समाहर्त्ता को उत्प्रेषित करेगा, जा निष्कर्षों के तथ्यों के आलोक में कार्यवाही निष्पादित करेगा।

परन्तु बोर्ड के किसी सदस्य के द्वारा प्रतिवेदन हस्ताक्षरित करने की विफलता उसकी वैधता को प्रभावित नहीं करेगी।

परन्तु यदि कोई सदस्य बोर्ड निष्कर्षो को हस्ताक्षरित न करना चाहे, वह लिखित रूप से अपनी असहमति समर्पित करेगा। ऐसा नहीं करने पर अध्यक्ष विषय पर अपनी टिप्पणी समर्पित करेगा।

(8) बोर्ड के प्रतिवेदन या निष्कार्षो से असहमति की स्थिति में, ऐसी असहमति के कारण अभिलिखत करते हुए तथा सम्बन्धित पक्षों को सुनवाई का युक्तिसंगत अवसर देते हुए, समाहर्त्ता जैसा वह आवश्यक समझे, जांच करेगा तथा यह सन्तुष्ट होने पर कि :–

(i) जिस व्यक्ति के निष्कासन की आशंका है, वह एक दर–रैयत है, समाहर्त्ता आशंकित निष्कासन को गैर कानूनी घोषित करेगा तथा आदेश देगा कि दर–रैयत के, उसकी अभिधृति या उसके किसी भाग में दखल के साथ हस्तक्षेप न करें,

(ii) विवाद ग्रस्त भूमि दर–रैयत की अभिधृति है, समाहर्त्ता दर–रैयत का दखल घोषित करेगा तथा इस अधिनियम की धारा–69 से 71 के प्रावधानों के अनुरूप भूमि की फसल या उत्पाद या उसके विक्री मूल्य को, जैसी स्थिति हो, दर–रैयत तथा उसके भू–स्वामी के बीच विभाजित करने का आदेश देगा,

(iii) वह व्यक्ति जिसे निष्कासित बताया जा रहा है, निष्कासन की तिथि को विवादित भूमि का एक दर–रैयत था तथा धारा–89 के प्रतिकूल इस धारा के तहत कार्यवाही प्रारम्भ होने के पहले 12 सालों के अन्दर उसे निषकसित किया गया, समाहर्त्ता, आदेश देगा कि दर–रैयती अभिधृति या उसके किसी भाग में या तो भू–स्वामी का कोई अन्य व्यक्ति (भूमि–स्वामी से लिए गए दावा के तहत) दखल में हो, दर रैयत को अभिधृति या उसके किसी भाग में, जिससे उसे इस प्रकार निष्कासित किया गया था, वापस दखल दिलाए।

(9) उपधारा (6), (7) तथा (8) के तहत समाहर्त्ता का आदेश लिखित रूप में होगा तथ इसके आधारों को वर्णित करेगा तथा आदेश की तिथि से 6 माहों से अनधिक अवधि विनिर्दिष्ट करेगा, जिसके अन्दर उसके आदेश का क्रियान्वयन किया जाएगा।

(10) यदि 6 माहों की अवधि (जो उप धारा–3 के तहत बोर्ड की नियुक्ति की तिथि से परिगणित होगी) में बोर्ड अपने निष्कर्ष अभिलिखित करने में या उप धारा– (7) के तहत अभिलेख उत्प्रेषण करने में विफल रहता है, तब समाहर्त्ता बोर्ड से कार्यवाही वापस ले लगा तथा इस धारा के प्रावधानों के अनुसार विवाद का स्वयं निष्पादन करेगा।

(11) उपधारा (6), (7) तथा (8) के तहत कोई व्यक्ति जिसके विरूद्ध आदेश पारित हुआ हो, समाहर्त्ता के आदेशों को, आदेश में विनिर्दिष्ट युक्तिसंगत समय के अन्दर या धारा–48F तक तहत अपील में पारित आदेश का अनुपालन करने में विफल रहता है, समाहर्त्ता ऐसे कदम उठाएगा या उठाने का आदेश देगा या ऐसा बल प्रयोग करेगा या करने का आदेश देगा, जो उसके विचार में आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने में, या दर–रैयत के आशंकित निष्कासन को रोकने या अवैध रूप से निष्कासित दर–रैयत को वापस दखल दिलाने के लिए आवश्यक होगा।

(12) समाहर्त्ता को Code of Civil Procedure 1908 (V of 1908) के तहत व्यवहार न्यायालय की तरह ही साक्ष्यों को बुलाने एवं उपस्थित होने तथा दस्तावेजों का अनिवार्यतः प्रस्तुतीकरण कराने की शक्ति होगी,

(13) समाहर्त्ता के द्वारा उप धारा (1) के तहत कार्यवाही प्रारंभ हो जाने के बाद, जब तक इस अधिनियम में स्पष्ट रूप से उपबंधित न हो, किसी विवाद की विषय–वस्तु में किसी व्यवहार या अपराध न्यायालय का क्षेत्राधिकार नहीं होगा।

परन्तु इस उप धारा में कुछ भी समाहर्त्ता के द्वारा कार्यवाही के अन्तिम निष्पादन पर्यन्त शान्ति भंग रोकने के लिए आवश्यक कोई कार्रवाई करने से अपराध न्यायालय की शक्ति को प्रभावित करने वाला नहीं माना जाएगा।

टिप्पणी– 1. धारा–48 ई में Collector under the Act भूमि सुधार उप समाहर्त्ता

2. Board का अध्यक्ष–आम व्यवहार में अंचलाधिकारी।

बिहार भूमि सुधार अधिनियम, 1950 के मुख्य प्रावधानों का विश्लेषण।

धारा–3 :– राज्यों में जमींदारी का निवेश :– राज्य सरकार समय–समय पर अधिसूचना द्वारा घोषित कर सकेगी कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किसी जमींदार की जमींदारी राज्य को चली गई है तथा राज्य में निहित हो गई है। यह राजपत्र में प्रकाशित होगी। इसकी एक प्रति निबंधित डाक से संबंधित जमींदार को जायेगी। अधिसूचना का प्रकाशन अधिसूचना से प्रभावित होने वाले जमींदारों की घोषणा की सूचना का प्रमाण माना जायेगा।

धारा–3A :–राज्य सरकार किसी भी समय अधिसूचना के द्वारा यह घोषणा कर सकती है कि पूरे राज्य में सभी मध्यवर्त्तियों के सभी मध्यवर्त्ती हित राज्य को चले गये है तथा राज्य में निहित हो गये है ऐसी अधिसूचना राज्य के किसी भाग में अवस्थित मध्यवर्त्ती हितों के राज्य के चले जाने तथा अवस्थित मध्यवर्त्ती हितों के राज्य को चले जाने तथा राज्य में निहित होने के संबंध में भी प्रकाशित हो सकती है।

धारा–4 :– राज्य में किसी जमींदारी के निहित होने के परिणाम :– तत्समय प्रवृत किसी विधि या किसी संविदा में कुछ भी होने के बावजूद या धारा–3 के अनुपालन नहीं होने या अनियमित अनुपालन के बावजूद धारा–3 की अधिसूचना प्रकाशित होने के निम्नांकित परिणाम होंगे :–

(A) ऐसे जमींदारी निहित होने की तिथि से शाश्वत रूप से हर प्रकार के बंधनों से मुक्त राज्य में निहित हो जायेगी तथा ऐसे जमींदार का ऐसी जमींदारी में काई हित शेष नहीं रह जायेगा। निम्नांकित हित निहित (Vest) होंगे। जमींदार का जमींदारी के लगान की वसूली के लिए कचहरी के रूप में प्रयुक्त किया गया कोई भवन या उसका कोई, भाग, वृक्षों, वनों, मछली के

तलाबों, जलकरों, हाटों, बाजारों, मेला, जल परिवहन तथा सभी सैराती हितों में उसके हित जमीन के अंदर खान एवं खनिज पदार्थ सहित भले ही उनका पता चला हो या न चला हो, उनका उत्खनन हुआ हो या न हुआ हो, खान एवं खनिज पदार्थ में लीजधारी के अधिकारों के साथ (रैयतों तथा दर रैयतों के अधिकारों को छोड़कर)।

(B) ऐसे जमींदारी से सन्निहित भूमि के प्रसंग में निहित होने की तिथि को एवं बाद में लगने वाले लगान, उपकर या Royalties राज्य को भुगतेय होंगे न कि भूतपूर्व मध्यवर्त्ती को एवं इस प्रावधान के प्रतिकूल किया गया कोई भुगतान राज्य सरकार पर बाध्यकारी नहीं होगा।

(c) निहित होने की तिथि को जमींदारी के प्रसंग में विधिवत् देय राजस्व तथा उपकरों के सभी बाये या तत्समय प्रवृत किसी कानून के तहत भूतपूर्व मध्यवर्त्ती से राज्य सरकार के द्वारा वसूलनीय अन्य सभी राशियों भूतपूर्व मध्यवर्त्ती से राज्य सरकार के द्वारा वसूलनीय अन्य सभी राशियों भूतपूर्व मध्यवर्त्ती से वसूलनीय बनी रहेगी। यह वसूली, वसली की अन्य विधियों के साथ–साथ जमींदार को देय मुआवजा राशि के अन्तर्गत भी जा सकेगी।

(D) यदि भूतपूर्व मध्यवर्त्ती ने जमींदारी के किसी रैयत से जमींदारी निहित होने के बाद की अवधि के लिए कोई राशि प्राप्त की है तो वह वसूली भी अन्य विधि के साथ–साथ उनको भुगतेय मुआवजा की राशि के अन्तर्गत से भी की जा सकेगी।

C (C) यदि भूतपूर्व मध्यवर्त्ती ने जमींदारी के किसी रैयत से जमींदारी निहित होने के बाद की अवधि के लिए कोई राशि प्राप्त की है तो वह वसूली भी

किसी अन्य विधि के साथ–साथ उनको भुगतेय मुआवजा की राशि के अन्तर्गत से भी की जा सकेगी।

(D) ऐसे जमींदार से बंधक द्वारा रक्षित किसी भुगतान या ऐसी जमींदारी पर प्रभारित किसी भुगतान की वसूली के लिए किसी व्यवहार न्यायालय में कोई वाद दायर नहीं किया जा सकेगा तथा निहित होने की तिथि को लंबित ऐसी राशि की वसूली के लिए कोई वाद या कार्यवाहियाँ समाप्त हो जायेगी।

(E) ऐसी कोई जमींदारी किसी न्यायालय की प्रकियाओं के तहत जब्ती के लायक नहीं होगी तथा निहित होने की तिथि के पहले इस सम्पत्ति के प्रसंग में पारित कोई भी जब्ती आदेश प्रभावी नहीं रहेगा।

E (E) ऐसे किसी वाद, अपील या कार्यवाही में , जो धारा–3 धारा–3। के तहत जमींदारी के निहित होन से संबंधि है एवं जो बिहार भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियम, 1953 के प्रवृत होने की तिथि को लंबित है, जिस न्यायालय में वाद अपील या कार्यवाहीं लंबित है, वह राज्य सरकार को एक सूचना का तामीला करायेगा। राज्य सरकार नोटिस प्राप्त के तीन महीनों के अंदर संबंधित न्यायालय के आवेदन देगी कि उसे भी वाद में पक्षकार बनया जाए तथा उसे पक्षकार बनया जायेगा एवं वह वाद के संचालन या प्रतिरक्षण यथा स्थिति में भाग लेगी तथा इस नोटिस के ताकिला के अभाव में ऐसे वाद, अपील या कार्यवाही में पारित आदेश या डिग्री राज्य सरकार पर बाध्यकारी नहीं होगी।

(F) इस धारा के तहत् राज्य में निहित जमींदारी के सभी हितों का प्रभार समाहर्त्ता ने लिया है ऐसा मान लिया जायेगा तथापि इस प्रावधान या इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान के द्वारा समाहर्त्ता को किसी ट्रस्ट या उससे

संबंधित भवन से संबंधित धार्मिक या धर्मनिरपेक्ष संस्था के प्रभार का ग्रहण मान लिया जायेगा, साथ ही समाहर्त्ता को ट्रस्ट की निधि को ट्रस्ट के प्रयोजनों में प्रयोग करने के ट्रस्टी के अधिकार के साथ हस्तक्षेप करने के लिए प्राधिकृत नहीं किया जाएगा।

(G) जहाँ राज्य में किसी जमींदारी या इसके किसी भाग के इस अधिनियम के तहत निहित हो जाने के कारण समाहर्त्ता की यह धारणा है कि राज्य को किसी संपत्ति को प्रत्यक्ष रूप से दखल में लेने का अधिकार है, तब वह विहित प्रकिया के तहत ऐसी सम्पत्ति के दखलकार को यह आदेश तामीला करायेगा कि वह उस सम्पत्ति को राज्य को दे या आदेश के विरूद्ध कोई कारण बताना है तो आदेश में अंकित तिथि तक कारण पृच्छा समर्पित करें। यदि ऐसा व्यक्ति दखल समर्पित करने में विफल रहता है या कारण पृच्छा समर्पित नहीं करता है या उसे सुनवाई का तर्कसंगत मौका देने के बाद समाहर्त्ता उसके कारणपृच्छा को अस्वीकृत कर देता है तब अभिलिखित कारणों के साथ यथा आवश्यक बल का प्रयोग करते हुए समाहर्त्ता अपने आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करायेगा। यदि यह आदेश जिला के समाहर्त्ता से नीचे किसी पदाधिकारी द्वारा पारित किया गया है तब ऐसे आदेश पारित होने के 60 दिनों के अन्दर समाहर्त्ता के समक्ष अपील दायर की जा सकेगी।

(H) समाहर्त्ता को ऐसी जमींदारी में सन्निहित किसी भूमि की बंदोंबस्ती या लीज सहित अन्तरण या ऐसी जमींदारी या उसके किसी भाग के लिए लगान वसूली के लिए मुख्य रूप से कार्यालय या कचहरी के रूप मे प्रयुक्त भवन में किसरी हित के अन्तरण की जाँच करने का अधिकार हो गया एवं यदि वह संतुष्ट है कि ऐसा अन्तरण इस अधिनियम के प्रावधानों से विफल करने के लिए, राज्य को क्षति पहुँचाने के लिए या अधिनियम के तहत उच्चतर मुआवजा

प्राप्त करने के लिए दिनांक–01.01.1946 के बाद किसी भी समय किया गया तब वह संबंधित पक्षें को उपस्थित होने एवं सुनवाई की युक्तिसंगत सूचना देने के बाद बेदखल कर सकता है एवं जैसा उस उचित एवं न्यायसंगत प्रतीत हो ऐसी शर्त्तों के साथ ऐसी संपत्ति को अपने दखल में ले सकता है।

समाहर्त्ता के आदेशों के विरूद्ध आदेश की तिथि से 60 दिनों के भीतर जिला समाहर्त्ता के समक्ष अपील की जा सकती है।

अन्तरण को रद्द करने का कोई भी आदेश तब तक प्रभावी नहीं होगा या इस आदेश के तहत तब तक दखल नहीं लिया जा सकता है तब तक ऐसे आदेश की सम्पुष्टि राज्य सरकार के द्वारा नहीं की गई हो।

H(H) किसी भूतपूर्व मध्यवर्त्ती के द्वारा किसी विशिष्ट अवधि के लिए या अनियत काल के लिए किसी जमींदारी में अवस्थित कृषि भू–खण्डों के लगानों की आंशिक या पूर्ण कमी या माफी के सभी मामलों में समाहर्त्ता को जाँच करने का अधिकार होगा। वह संबंधित पक्षों को उपस्थित होकर सुनवाई करने की युक्तिसंगत सूचना देगा। यदि वह संतुष्ट है कि ऐसी कमी या माफी अधिनियम के प्रयोजनों को विफल करने से या राज्य को क्षति पहुँयने के उद्देश्य से 01.01.1946 के बाद की गई है, तब समाहर्त्ता ऐसी कमी या माफी को रद्द कर देगा तथा 01.01.1946 के तत्काल पूर्व ऐसे भू–खण्डों के लिए देय लगान को पुनः स्थगित कर देगा।

समाहर्त्ता के आदेश के 60 दिनों के भीतर समाहर्त्ता के समक्ष अपील दायर की जा सकती है।

(I) समाहर्त्ता जमींदार को सूचना देकर आदेश दे सकता है कि जमींदार ऐसे दस्तावेजों, पंजियों तथा कागजातों का, जो उसके विचार से संबंधित जमींदारी

की भूमि के प्रबंधन के लिए आवश्यक है, उन्हें प्रस्तुत करें। यदि सूचना तामीला के 48 घंटों के अंदर या समाहर्त्ता द्वारा दिये गये विस्तारित समय के अंदर सूचना का अनुपालन नहीं होता है तब समाहर्त्ता या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी आवश्यक सहायता के साथ ऐसी भूमि या भवन में प्रवेश कर सकता है तथा ऐसी भूमि या अभिधृति के प्रबंधन में आवश्यक समझे जाने वाले दस्तावेजों पंजियों या कागजातों को जब्त कर सकता है।

धारा–5 मध्यवत्तियों के आवास गृह Tenant के रूप में उनके द्वारा रखे जाने का प्रावधान–

जमींदारी निहित होने के तिथि के प्रभाव से किसी जमींदारी में निहित की तिथि को मध्यवर्त्ती के दखल में जमींदारी मं अवस्थित सारे आवास स्थल (धारा–7 (A) तथा 7 (B) के अध्यधीन) राज्य के द्वारा ऐसे मध्यवर्त्ती के साथ बंदोबस्त माने जायेंगे तथा वह ऐसे आवास गृहों में सन्निहित भू–खण्डों पर दखल के योग्य होगा तथा वह राज्य के अधीन लगान रहित उन्हें एक Tenant के रूप में धारित करेगा।

ऐसे गृह स्थल जिनका उपयोग मध्यवर्त्ती भाड़ा लगाने के रूप में करते है, समाहर्त्ता द्वारा वैसे आवास भू–खंडों पर उचित एवं न्यायसंग लगान निर्धारित किया जायेगा।

यदि ऐस गृह स्थल पर दखल के प्रसंग में मध्यवर्त्ती के दावे या गृह स्थल के परिमाण पर उसके दावे पर कोई व्यक्ति निहित होने की तिथि से 3 माहों के अन्दर वाद दायर करता है तब समाहर्त्ता यथा आवश्यक जाँच करते हुए यथा आवश्यक आदेश पारित करेगा।

धारा–6 मध्यवर्त्ती के खास दखल में अवस्थित कुछ अन्य प्रकार की भूमि जिनहें वे ओकुपेंसी अधिकार प्राप्त रैयतों के रूप में लगान भुगतान कर रखा सकते है।

निहित होन की तिथि को एवं उस तिथि से कृषि एवं बागवानी के रूप में प्रयोग की गई वैसी सारी भूमि जो निहित होने की तिथि को किसी मध्यवत्ती के खास दखल में थी। राज्य के द्वारा धारा–7A एवं 7B के प्रावधानों उसे समाहर्त्ता द्वारा निर्धारित उचित एवं न्यायपूर्ण लगान भुगतान के अध्यधीन ओकुपेंसी अधिकार सहित रैयत के रूप में राज्य के अधीन रख सकेगा।

ऐसे जमीनों में मध्यवर्त्ती नौकराना भूमि या चौकादारी चकरान भूमि के रूप में अभिलेखबद्ध भूमि नहीं रख सकेगा चूँकि निहित होने की तिथि के पूर्व ही यह किसी अन्य रैयत की हो चुकी है। नौकराना भूमि का तात्पर्य ऐसा भूमि से है जिसमें लगान के बदले सेवा या सेवा के लिए मजदूरी के बदले उक्त भूमि दी जाती थी।

मध्यवर्त्ती के खास दखल में निम्नांकित प्रकार की भूमि भी शामिल मानी जाती थी :–

I. मध्यवर्त्ती की निजी जमीन जिसे आवधिक लीज पर दिया गया हो।

II. कृषि एवं बागवानी प्रयोजनों से मध्यवर्त्ती के अस्थायी लीजधारी के प्रत्यक्ष दखल में धारित भूमि जिस पर कृषि कार्य वह स्वयं अपने सेवकों या भाड़े पर लिये गये श्रमिकों द्वारा अपने या भाड़े पर लिये गये उपकरणों से करता हो।

III. मध्यवर्त्ती द्वारा बन्धक पर रखी गई कृषि एवं बागवानी प्रयोजनों में प्रयुक्त होने वाली ऐसी भूमि, जिसमें बनधक मुक्ति के बाद मध्यवर्त्ती का खास दखल पुनः स्थापित हो जायेगा।

भूमि सहित ऐसे भवन एवं संरचनाऐं जिनमें कार्यालय एवं कचहरी शामिल न हो जो 1954 के पहले जो मध्यवर्त्ती के दखल में थे एवं जिनका उपयोग गोला फैक्ट्री या मिल के रूप में वाणिज्य, निर्माण या व्यवसाय के लिए या अनाज भंडारण के लिए या मवेशी रखने के लिए या कृषि साधन के लिए किया जाता था एवं जिनका निर्माण दिनांक–01.01.1946 के पूर्व हुआ था धारा–7(A) तथा 7(B) के प्रावधानों के अध्यधीन राज्य द्वारा मध्यवर्त्ती के साथ समाहर्त्ता द्वारा निर्धारित उचित एवं न्यायपूर्ण लगान भुगतान के आधार पर एक रैयत के रूप में बंदोबस्त मान लिये गये।

औद्योगिक उपक्रम के मामले में संबंधित भूमि एवं भवन के उचित एवं न्यायपूर्ण लगान का निर्धारण राज्य सरकार के द्वारा किया जाना था।

यदि उपर्युक्त भूमि, भवन या संरचना के बारे में मध्यवर्त्ती का दावा निहित होने की तिथि से 3 महीने के अंदर वाद में लाया जाता है तब समाहर्त्ता मामले की यथोचित जाँच करेगा तथा यथोचित आदेश पारित करेगा।

यदि किसी मध्यवर्त्ती के द्वारा उपर्युक्त प्रयोजनों से किसी भवन या संरचना का निर्माण एवं उपयोग 01.01.1946 के बाद किया जा रहा हो तो भूमि सहित भवन राज्य के अधीन रैयत के रूप में लगान भुगतान के शर्त पर मध्यवर्त्ती अपने पास रख सकता था बशर्ते राज्य सरकार संतुष्ट हो कि उपर्युक्त प्रयोजनों से निर्माण या प्रयोग इस अधिनियम के प्रावधानों के विफल करने के उद्देश्य से नहीं किया गया है।

धारा–7A– जिस भूमि पर हाट या बाजार लगता था उसे मध्यवर्त्ती के साथ बंदोबस्त नहीं माना जायेगा :–

धारा–5, धारा–6, या धारा–7 का कोई भी प्रावधान, ऐसी भूमि पर जिस पर मध्यवर्त्ती जमींदीरी निहित होने के एक वर्ष पूर्व किसी भी समय हाट या बाजार लगाता था मध्यवर्त्ती को किसी प्रकार या अधिकार नहीं देता है।

धारा–7B– मेला लगाने के अधिकार का राज्य में निहित होना :–

जहाँ धारा–5, धारा–6, या धारा–7 के तहत जिस भूमि को मध्यवर्त्ती के साथ बंदोबस्त मान लिया गया, निहित होने की तिथि के तीन सालों के अंतर्गत मध्यवर्त्ती द्वारा मेला आयोजित किया जाता था ऐसी भूमि पर निहित होने की तिथि के प्रभाव से मेला आयोजित करने का अधिकार राज्य में निहित हो जायेगा एवं किसी भी अधिनियम में अन्य कुछ भी होते हुए भूमि पर मेला लगाने का अधिकार राज्य का होगा तथा मध्यवर्त्ती का नहीं होगा।

भू–दान कार्यक्रम

भू–दान यज्ञ अधिनियम–1954 एवं भू–दान यज्ञ नियमावली–1955

सर्वोदय कार्यक्रम के अन्तर्गत भू–दान यज्ञ (कार्यक्रम) को आचार्य विनोबा भावे के द्वारा स्वैच्छिक, (Voluntary) कार्यक्रम के रूप में देश की आजादी के बाद प्रारंभ किया गया। उक्त कार्यक्रम का मुख्य उदेश्य निम्नवत है :–

1. बड़े भू–धारियों से दान स्वरूप जमीन प्राप्त करना एवं
2. भू–दान में प्राप्त जमीन का वितरण भूमिहीन, गृह विहीन परिवारो के बीच करना,

ताकि समाज के उपेक्षित वर्ग के लोगों को आवासन हेतु अपनी जमीन हो एवं उनके जीविकोपार्जन हेतु कृषि योग्य जमीन उन्हें उपलब्ध हो सके।

भू–दान योजना के अन्तर्गत उसी जमीन का दान स्वरूप प्राप्त करना था, जिसपर दानकर्त्ता का स्वामित्व हो। आचार्य विनोबा भावे एवं उनके अन्य सहयोगियों द्वारा राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण कर भू–स्वामियो से रैयती जमीन दान स्वरूप प्राप्त किया गया। कुछ मामलों में आचार्य विनोबा भावे को सम्पूर्ण राजस्व मौजा/ग्राम ही दान में प्राप्त हुआ। सरकार का ध्यान जब कार्यक्रम की ओर आकृष्ट हुआ एवं सरकार द्वारा उक्त कार्यक्रम को भूमि सुधार का एक उपयोगी कार्यक्रम के रूप में महसूस किया गया, तो दान में प्राप्त वैसी जमीन एवं राजस्व ग्राम के प्रबंधन एवं उसके सही ढंग से वितरण हेतु बिहार भू–दान यज्ञ अधिनियम, 1954 एवं बिहार भू–दान यज्ञ नियमावली 1955 प्रभाव में आया। भू–दान यज्ञ अधिनियम 21 जुलाई 1954 से प्रभाव में आया। आचार्य विनोबा भावे को दिनांक–21.07.1954 के पूर्व दान स्वरूप जितनी जमीन प्राप्त हुई, उसे उक्त अधिनियम के द्वारा वितरित करने की कार्रवाई प्रारंभ की गयी। विनोवा भावे के द्वारा स्वयं इच्छा व्यक्त की गई की उन्हें जो जमीन भू–दान कार्यक्रम के अन्तर्गत जमीन प्राप्त हुआ वे सभी को भू–दान यज्ञ समिति को हस्तान्तरित कर दी जाय। भू–दान अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत प्राप्त जमीन को निम्न श्रेणी के भू–दान रैयतों के बीच वितरित किए जाने का प्रावधान अंकित किया गया है :–

Section-01

अधिनियम की परिभाषा – प्रभाव आने संबंधी घोषणा –

क्षेत्राधिकार –

Section-02 –परिभाषा

"भू–दान यज्ञ" – आचार्य बिनोवा भावे द्वारा प्रारंभ किया गया वह अभियान जिसके तहत स्वयं आचार्य विनोबा भावे द्वारा एवं उनके सहयोगियों द्वारा दान स्वरूप भूमि प्राप्त किया गया एवं दान स्वरूप प्राप्त उस प्रकार की भूमि का वितरण भूमिहीनो, Village community, ग्राम पंचायत एवं भू–दान यज्ञ समिति द्वारा संचालित Co-Operative Society को किये जाने संबंधी प्रावधान अंकित किये गए है

समाहर्त्ता – जिला समाहर्त्ता एवं अपर समाहर्त्ता

बैंक – Banking Regulation Act – 1949 के द्वारा परिभाषित SBI, RRB, Agriculture Finance Corporation Ltd.

समिति – अधिनियम की धारा–3 के तहत स्थापित –

भूमिहीन व्यक्ति –

जिसके द्वारा अन्य व्यक्तियों की जमीन पर कृषि कार्य किया जाता है एवं जिसके पास अपनी एक एकड़ से कम जमीन है अथवा जमीन नहीं है अथवा जिनके द्वारा अपनी सम्पूर्ण जमीन भू–दान यज्ञ समिति को दान में दे दिया गया है – ग्राम दान के अन्तर्गत।

लेकिन भू–दान यज्ञ समिति को राज्य के विभिन्न भागों के लिए इस सम्बन्ध में अलग–अलग अधिसीमा निर्धारित करने की शक्ति होगी।

भू–स्वामी –

जो वैसी जमीन धारित करते है जिसे उनके द्वारा Inherit किया गया है, अन्यथा प्राप्त किया गया है एवं जिसे वे अन्य को अपनी इच्छानुसार हस्तांतरित कर सकते है।

Person -

गाँव की सहयोग समिति – भू–दान यज्ञ समिति यज्ञ समिति द्वारा स्थापित, गाँव की सहयोग समिति ग्राम की सहायोग समिति, एवं पंचायत भू–दान यज्ञ समिति द्वारा स्थापित गाँव की सहयोग समिति।

राजस्व पदाधिकारी – समाहर्त्ता, अपर समाहर्त्ता, अनुमंडल पदाधिकारी अथवा राज्य सरकार द्वारा भू–दान संबंधी कार्यों के निष्पादन हेतु नियुक्त राजस्व अधिकारी।

Section- 3, 4 -

भू–दान यज्ञ समिति की स्थापना एवं उसका कार्यकाल –

राज्य सरकार द्वारा राज्य स्तर पर भू–दान आन्दोलन के तहत प्राप्त भूमि का संरक्षण एवं वितरण हेतु राज्य स्तर पर एक समिति का गठन किया जाएगा। भू–दान आन्दोलन के तहत प्राप्त सभी भूमि राज्य स्तरीय भू–दान यज्ञ समिति में निहित (Vest) होगा। उक्त समिति द्वारा नियमानुसार भू–दान यज्ञ में प्राप्त भूमि को Administer एवं वितरण किया जाएगा। भू–दान यज्ञ अधिनियम द्वारा प्रावधानित सभी कार्यों का निष्पादन उक्त समिति द्वारा किया जाएगा।

राज्य स्तरीय भू–दान यज्ञ समिति की संरचना –

1. अध्यक्ष
2. कम से कम चार एवं अधिक–अधिक से 09 सदस्य –(राज्य सरकार द्वारा निर्धारित)
3. अध्यक्ष एवं समिति के अन्य सदस्यों की नियुक्त राज्य सरकार द्वारा

4. कार्यकाल –04 वर्षो का – लेकिन अगली समिति के गठन एवं उसके गजट प्रकाशन तक कार्यकाल को विस्तार किया जा सकेगा – (राज्य सरकार द्वारा)

5. अध्यक्ष एवं सदस्यों की पुनः नियुक्ति हो सकती है।

वर्त्तमान में श्री शुभमूर्ति जी भू–दान यज्ञ समिति के अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यक्रम चार वर्षो का है। अध्यक्ष एवं सदस्यों की पुनः नियुक्ति हो सकती है। भू–दान यज्ञ समिति का कार्यालय/मुख्यालय पटना शहरी क्षेत्र के गर्दनीबाग, रोड नं0–34 में अवस्थित है एवं सभी जिला मुख्यालयों में भी भू–दान यज्ञ समिति का कार्यालय अवस्थित है जहाँ भू–दान यज्ञ के जिला मंत्री पदस्थापित/कार्यरत हैं।

Section-05 -

क) अध्यक्ष एवं समिति के सदस्य द्वारा त्याग पत्र दिया जा सकता है, अथवा राज्य सरकार द्वारा उन्हें हटाया जा सकता है।

ख) किसी न्यायालय द्वारा उन्हें "Moral Turpitude" के आधार पर दोषी करार/घोषित किया गया हो।

ग) जो कार्य सम्पादित करने के अयोग्य पाए जाते है।

Section-06 -

आकस्मिक रिक्ति को भरा जाना –

मृत्यु, त्याग पत्र, हटाए जाने की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा अन्य की नियुक्ति उस अवधि के लिए की जाएगी – जिस अवधि तक अन्य अध्यक्ष/सदस्यों का कार्यकाल प्रभावी रहेगा।

Section-07 -

समिति द्वारा सम्पादित कार्यों की मान्यता –

समिति में रिक्ति होने अथवा नियुक्ति में अनियमितता की शिकायत के आधार पर समिति द्वारा सम्पादित कार्य/लिया गया निर्णय अवैध नहीं माना जाएगा।

Section-08 -

समिति द्वारा कार्यों का निष्पादन –

समिति का कार्यालय पटना में होगा। समिति अपनी सुविधानुसार बैठक का आयोजन करेगी– लेकिन

क) अध्यक्ष विशेष बैठक बुला सकते है

ख) बैठक की अध्यक्षता – समिति के अध्यक्ष द्वारा अथवा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में सदस्यों द्वारा चयनित सदस्य द्वारा

ग) Majority के आधार पर निर्णय – बराबर होने की स्थिति में अध्यक्ष को निर्णय – Second Casting Vote का अधिकार अध्यक्ष को

घ) लेकिन बैठक में अध्यक्ष के साथ तीन लोगों की उपस्थिति किसी भी निर्णय के लिए आवश्यक

Section-09 -

समिति का विघटन –

क) राज्य सरकार को अगर यह लगता है कि समिति द्वारा निर्धारित प्रावधानुसार अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया जाता है।

ख) अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई हो जिससे राज्य सरकार को लगता है कि समिति को विघटित किया जाना आवश्यक है – क्योंकि समिति अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर रही है।

ग) अन्यथा समिति को विघटित किया जाना आवश्यक है – ऐसा अगर सरकार समझती है तो समिति को विघटित किया जा सकेगा।

विघटन की अवधि में समिति के दायित्वों का निर्वहन किस प्राधिकार के द्वारा किया जाएगा के संबंध में निर्णय सरकार लेगी एवं उक्त आशय की अधिसूचना Official Gazette में किया जाएगा। सरकार द्वारा प्रकाशित उक्त आशय की अधिसूचना को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता है।

Section-10 -

Donation of Land

कोई भी भू–स्वामी अपनी जमीन को दानपत्र के माध्यम से भू–दान यज्ञ समिति/श्री आचार्य विनोबा भावे (भू–दान यज्ञ समिति) को दान स्वरूप दे सकता है, लेकिन कोई भी व्यक्ति निम्नलिखित कोटि की जमीन दान के रूप में भू–दान यज्ञ समिति को नहीं दे सकता है :–

1. श्मशान अथवा कब्रगाह की जमीन

2. तालाब अथवा रास्ता

3. Indian Forest Act, 1927 or Bihar Private Forest Act, 1947 के अन्तर्गत अधिसूचित जंगल की जमीन

4. खान एवं खनिज पदार्थ धारित करने वाली भूमि – खनिज पदार्थ होने की जानकारी हो अथवा नही –

5. Lands Held Under Service Tenures –

6. अथवा अन्य कोई भी भूमि जिसे राज्य सरकार Official Gazette के द्वारा दानपत्र के माध्यम से दान देने से प्रतिबंधित किया जाता है

ख) भू–दान यज्ञ दानपत्र प्राप्त होते ही उसे राजस्व अधिकारी के समक्ष उपस्थापित किया जायेगा।

High Court Ruling

"Section 10 provides that any person being the owner of any land could donate such land to the Boodan Committee or to Acharya Vinoba Bhave by a declaration in writing in that behalf. It also expressly provides the categories of land which cannot be donated, as under the proviso to section 10. Pandit Bramha Nand Choubey vs. Members of Bhoodan Committee, 1986 PLJR 414."

सर्वोदय आन्दोलन के अन्तर्गत एवं भू–दान यज्ञ अधिनियम के अन्तर्गत जो भी जमीन दान स्वरूप प्राप्त होता है, उस पर भू–दान यज्ञ समिति का स्वामित्व होगा, जिसके द्वारा भूमिहीन, गृह विहीन परिवारों के बीच दान पत्र के माध्यम से जमीन का वितरण किया जायेगा। भू–दान यज्ञ समिति द्वारा वैसे दानपत्रों को भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता के कार्यालय को संपुष्टि हेतु उपलब्ध कराया जाता है।

Section-11 -

दानपत्रों का प्रकाशन एवं उसकी जाँच –

1. भू–दान यज्ञ समिति से इस प्रकार का दान पत्र प्राप्त होने पर सक्षम राजस्व अधिकारी भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के द्वारा उसका निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार लिखित आपत्ति प्राप्त करने हेतु प्रकाशन किया जाएगा। आपत्ति आवेदन पत्र प्रकाशन के 30 दिनों तक प्राप्त किया जाएगा।

2. यदि आपत्ति प्राप्त नहीं होता है कि राजस्व अधिकारी के द्वारा दानपत्र में अंकित जमीन के (Right, Title and Interest) स्वामित्व के संबंध में जाँच की जाएगी। जाँच में विशेष रूप से यह देखना है कि दानदाता किस हदतक उस जमीन को दान देने हेतु सक्षम है।

3. अगर किसी के द्वारा प्रकाशन अवधि में लिखित में आवेदन पत्र समर्पित किया जाता है तो राजस्व अधिकारी उसकी सुनवाई हेतु एक तिथि एवं समय का निर्धारण करेंगे एवं संबंधित पक्षों को नोटिस निर्गत करेंगे – दाता एवं आपत्तिकर्त्ता को नोटिस का तामिला कराया जाएगा अथवा उसे पंजीकृत डाक (पावती रसीद के साथ) से भेजा जाएगा। निर्धारित तिथि को भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के द्वारा संबंधित पक्षों कों सुना जाएगा।

4. संबंधित पक्षों को सुनने एवं आवश्यक जाँचोपरान्त भूमि सुधार उप समाहर्त्ता द्वारा दानपत्र को या तो संपुष्ट किया जाएगा अथवा उसे पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से असंपुष्ट किया जाएगा। असंपुष्टि का आधार/कारण निम्न में से कोई भी हो सकता है :–

क) कि दाता जमीन को दान करने हेतु सक्षम नहीं है

ख) कि दाता की जमीन पर स्वामित्व Defective है

ग) कि दाता दानपत्र में अंकित जमीन को दान करने हेतु सक्षम नहीं है –

(अधिनियम की धारा–10 एवं 12 के अन्तर्गत)

5. अगर भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता के द्वारा जमीन को पूर्णतः अथवा अंशतः अस्वीकृत नहीं किया जाता है तो भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के द्वारा उसे पूर्णतः अथवा आंशिक रूप में संपुष्ट किया जाएगा।

6. जिन मामलों में भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के द्वारा दान पत्र को असंपुष्ट किया जाता है, वैसे दानपत्रो को रद्द कर दिया जाएगा एवं वैसे दानपत्रो से संबंधित जमीन के वास्तविक स्वामियो के अधिकार/स्वामित्व पर किसी प्रकार का प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा।

7. भूमि सुधार उप समाहर्त्ता को भू–दान यज्ञ अधिनियम के अन्तर्गत वादों को सुनने एवं उसके निष्पादन के संबंध में व्यवहार न्यायालय की शक्ति प्रदत्त है –

(Code of Civil Procedure, 1908) –

निम्नलिखित मामलो में –

क) गवाहो को बुलाने एवं उसका शपथ (Oath) के तहत परीक्षण करने हेतु

ख) किसी भी अभिलेख को उपस्थापित करने एवं उसे खोजने के संबंध में

ग) शपथ पत्र के रूप में साक्ष्य उपस्थापित करने के संबंध में

घ) किसी भी न्यायालय अथवा कार्यालय से किसी भी अभिलेख को प्राप्त करने का आदेश

च) गवाहो की परीक्षण

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता न्यायालय की उक्त प्रक्रिया Indian Peneal code 1860 की धारा 193, 195, 228 के अन्तर्गत न्यायिक प्रक्रिया माना जाएगा।

<u>High Court Ruling</u>

If a land donated is confired u/s 11 of the Act then in that case the land would vest in the Bhoodan Yagya Committee under the Provision of Section-13 of the Act and thereafter the State govt. has no power to Settle the ------- where no confirmation is there and there was no vesting of land u/s-13 then the Settlement made by the State cannot be faulted with -

Mohamad Hasan Khan Vs State of Bihar.

200(2) PLJR-333

<u>Section-12 -</u>

<u>जमीन्दारी उन्मूलन के बाद **Proprietor** अथवा **Tenure-holder** के द्वारा जमीन को दान में देना–</u> Bihar Land Reforms Act, 1950 के प्रभाव में आने के पूर्व दान में दी गई जमीन भू–दान यज्ञ समिति की मानी जाएगी, लेकिन जो जमीन जमीन्दारी उन्मूलन के पश्चात सरकार में Vest हो गई उसे भूतपूर्व जमीन्दार द्वारा दानपत्र के माध्यम से भू–दान यज्ञ समिति अथवा आयार्य